

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268194
SG-DL-E-03122025-268194असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 355
No. 368]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947	[N. C. T. D. No. 355

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 19/2024-राज्य कर

फा.सं. 3(34)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/1152.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 171 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एतद् द्वारा 01 अप्रैल, 2025 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिससे उक्त धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस बात की जांच के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या कर की दर में कटौती वास्तविक रूप से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में समानुपातिक कटौती में परिणत हुई है।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st December, 2025

No. 19/2024-State Tax

F.No. 3(34)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1152.— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of section 171 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby appoints the 1st day of April, 2025 as the date from which the Authority referred to in the said section shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by that registered person.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)